

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/कोहका माईनर केनाल पर सड़क निर्माण हेतु बेदखल किये गये 444 परिवारों में से 42 परिवारों को आज निगम सभागार में द्वितीय चरण लॉटरी पद्धति के तहत आवास आबंटन का चिन्हांकन किया गया। दिव्यांग हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल में मकान आबंटन हेतु अवसर प्रदान किया गया। केनाल रोड में प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना सब के लिए आवास मिशन के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड कालोनी जवाहर नगर में निर्माणाधीन एएचपी आवासों में ऐसे हितग्राही जिन्होंने प्रथम किश्त की राशि पांच हजार रुपये निगम कोष में जमा किये हैं उन्हें आवास आबंटन हेतु आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के द्वितीय चरण में 42 परिवारों को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आयुक्त द्वारा बनाये गये समिति के अधिकारी एच0के0 चन्द्राकर, एस0पी0 साहू, संजय शर्मा के समक्ष महापौर परिषद् के सदस्य दुकान एवं आवास आबंटन के प्रभारी डॉ. दीवाकर भारती, पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की उपस्थिति में 42 परिवार को क्रमबद्ध लॉटरी निकलवाकर आवास आबंटन के लिए नंबरों का चिन्हांकन किया गया। दिव्यांग 4 परिवार को आयुक्त श्री के0एल0 चौहान जी के निर्देशानुसार भूतल पर मकान आबंटन हेतु प्राथमिकता देते हुए 4 दिव्यांग परिवार के सदस्यों को लॉटरी निकालने हेतु प्रथम अवसर दिया गया।

ज्ञात हो कि कोहका माईनर केनाल पर सड़क निर्माण हेतु बेदखल किये गये 444 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे मकानों में आवास उपलब्ध करवाया जाना है। लॉटरी के प्रथम चरण में ऐसे हितग्राही जिन्होंने मकान की प्रथम किश्त की राशि 5 हजार रुपये जमा किये थे उन 95 परिवारों को आवास आबंटन किया गया था। बुधवार को निगम सभागार में लॉटरी का द्वितीय चरण आयोजित कर 42 परिवार को आवास आबंटन के लिए चिन्हित किया गया। जिन हितग्राहियों को आवास आबंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया के तहत चिन्हित किया जा चुके 137 परिवार मकान की किश्त राशि 3 हजार रुपये प्रतिमाह के 01 से 10 तारीख के बीच निगम में जमा करना होगा। लॉटरी प्रक्रिया के प्रारम्भ में शरद दुबे ने निगम द्वारा मकान आबंटन हेतु निर्धारित किये गये नियम शर्तों को हितग्राहियों को पढ़कर सुनाया। लॉटरी प्रक्रिया को विद्याधर देवांगन, उमेश साहू, रमेश वर्मा, ने सफल रूप से संचालित किया।

जनसम्पर्क विभाग

